संख्याः 1761/XXIV-3/10/02(37)2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 22 दिसम्बर,2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 542/XXVII(1)/2010; दिनांकः 04 अक्टूबर,2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्याः 11,30 एवं 31 के अधीन आयोजनागत पक्ष में रू0 2606.22 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ छ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:–

1. <u>जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांकः 28 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–7 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है.</u>

2 निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्याः 475/XXVII(1)/2008 दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

3 प्रयोगशाला/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष कॉमनरूम एवं पेयजल तथा शौचालय हेतु धनराशि जनपद–स्तर पर निर्धारित आगणन के आधार पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति किये जा रहे कार्यो को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उनकी कोई देयता आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जायेगी।

4 निर्माण कार्यों के लिए निर्माण ऐजेन्सी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अभियन्ता उत्तरदायी होगे। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु यथा आवश्यक थर्ड पार्टी जांच भी करायी जाए।

5 एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

क्रमशः

7 निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। निर्माण सामग्री क्रय किये जाने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का कडाई से पालन किया जाय.

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 4202– शिक्षा, खेलकूद/कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा,–आयोजनागत–91–जिला योजना के अन्तर्गत संबंधित योजना में मानक मद, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा.

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 646(P)/XXVII(3)/2010-11; दिनॉकः 20 दिसम्बर,2010 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1761(1)/XXIV-3/10/02(37)2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
9. समस्त जिला शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
13. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग)।
14. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
15. सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
16. रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्याः 1761/XXIV-3/10/02(37)2010, दिनांक 22 दिसम्बर,2010 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र स	जनपद का नाम	लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद/कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202– माध्यमिक शिक्षा,–आयोजनागत– 91–जिला योजना											
		9101– राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण			9102–राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों–बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था			9103–राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार विद्युतीकरण एवं भूमि/ भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (जिला योजना)			9104–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण		
		अनुदान सं0 11	अनुदान सं0 30	अनुदान सं031	अनुदान सं011	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	अनुदान सं011	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	अनुदान सं0 11	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31
1	नैनीताल	18.15	9.00					36.00	5.00		0.00		
2	उधमसिंहनगर	39.85	17.60	17.60	8.31			62.90	5.60	5.60			
3	अल्मोड़ा	77.60			56.25			195.05			0.00		
4	पिथौरागढ़	55.40						104.25					
5	बागेश्वर	18.10	21.57					64.00					
6	चम्पावत	62.00	27.00		20.00	2.00		120.50	34.00		0.00	4.00	
7	देहरादून	16.45	16.35	5.45	2.99			174.35	34.35	17.30	0.00		
8	पौड़ी	130.70	27.13	5.02				84.53	24.12	4.35			
9	टिहरी	69.50						167.45	106.50				
10	चमोली	45.85	32.50	6.50	153.00			104.70	36.90	4.90	0.00		
11	उत्तरकाशी	22.65	9.00					31.20	9.00				
12	रूद्रप्रयाग	35.31	15.39					75.61	20.74				
13	हरिद्वार	9.10						20.00			0.00		
	योगः–	600.66	175.54	34.57	240.55	2.00	0.00	1240.54	276.21	32.15	0.00	4.00	0.00

(कुल रूपये छब्बीस करोड़ छः लाख बाईस हजार मात्र)

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।